

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

पहलार

बनाम रतन

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 335/2023

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

03/07/23

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 रालेरे के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज

रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती पहलार

पिता श्री गणेश जी रेवारी

निवासी सावा की टाणी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम  
टाणी (प.ह. सामरी) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 106 107  
53 0.0300 0.0400

0.2400

कुल कीता 3 कुल रकबा 0.3100 है 0 की पत्थरगढी  
कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज  
रेकार्ड है।अतः प्रार्थी की ग्राम टाणी (प.ह. सामरी) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी  
नम्बर 106, 107, 53  
0.0300, 0.0400, 0.2400कुल कीता 3 रकबा 0.3100 है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी  
किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का  
खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500/- रुपये अक्षरे पांच (500/-)  
प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर  
पेश हो।

(रामचन्द्र खटीक)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़